

<p>तारिख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 48/2025</p>	<p>नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए</p>
<p>15-9-2025</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही अनुपस्थित। प्रतिवादी अमर सिंह देवल पुत्र श्री शुभकरण देवल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर, मैसर्स शिव गंगा डेयरी फार्म, कासीन्द्रा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरौही, स्थाई पता: ग्राम कासीन्द्रा, पोस्ट- अचपुरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरौही अनुपस्थित।</p> <p>आवेदक श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 25-4-2025 को मैसर्स शिव गंगा डेयरी फार्म, कासीन्द्रा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरौही में प्रतिवादी अमर सिंह देवल पुत्र श्री शुभकरण देवल, निवासी- कासीन्द्रा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरौही से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Mix Milk (Loose) का नमूना संख्या S-2625 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./508/Act/2025/508 दिनांक 14-5-2025 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी कर विधिवत तामिल करवाया गया। जिस पर प्रतिवादी ने प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 09-9-2025 को उपस्थित होकर लिखित जबाव प्रस्तुत किया। प्रतिवादी को दिनांक 09-9-2025 को ही सुना गया, जिन्होंने जबाव में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा एक ही फर्म पर जानबुझकर परेशान करने के लिए एक ही दिन में घी के 2 सैम्पल व एक दूध का सैम्पल लिया गया था जो कि परेशान करने को बदनियती से लिया गया था। विगत 12-13 साल से प्रार्थी के द्वारा गिर गाय का पालन किया जा रहा है। आज दिन तक किसी प्रकार से कोई मिलावट या बाहरी खाद्य पदार्थ का उपयोग नहीं किया गया है। डेयरी फार्म का दूध किसानों के द्वारा कलेक्ट करके सेन्टर से लिया जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई डायरेक्ट आने से मिलावट का अन्देशा नहीं है। जांच अधिकारी के द्वारा माने पर दूध का सैम्पल लिया गया तब दूध का फेट 7.5 फेट था एवं उस समय एस.एन. एफ, 9.2 था जब उनके द्वारा किसी भी प्रकार का व्हाइट कलर, लिक्वीड एड किया गया जिसने कि एस.एन.एफ. कम होने का अन्देशा है। जिससे 8.5 एस.एन.एफ. जांच अधिकारी द्वारा बताया जा रहा है जो कि बोर्डर लाइन है, जिसमें किसी भी प्रकार से कोई मिलावट नहीं बताया गया है। रिपोर्ट में क्रम संख्या 3 पर फार्मलिन पॉजिटिव बताया गया है जो कि सरासर गलत है। इस प्रकार का केमीकल हमारे द्वारा उपयोग नहीं किया जात है व न ही किया गया है। यह मात्र परेशान करने एवं पोजेटिव रिपोर्ट बताने हेतु हो दर्शाया गया है। फर्म के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई मिलावट कार्य नहीं किया जाता लेकिन राजकीय व्यवस्था के कारण बार बार परेशान ना होना पड़े यथा शास्ति कर आरोप स्वीकार्य है, इसलिये कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करावे।</p> <p style="text-align: right;">.....लगातार</p>	

धरि. जिला न्यायालय
सिरौही-307001.



तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
F.S.S.Act Case No. 48/2025

हमने पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही, दिनांक 25-4-2025 को समय 2-40 पी.एम. पर मैसर्स शिव गंगा डेयरी फार्म, कासीन्द्रा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरौही में खाद्य पदार्थों के निरीक्षण हेतु गये। मैसर्स शिव गंगा डेयरी फार्म, कासीन्द्रा में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मैनेजर की हैसियत से श्री अमर सिंह देवल पुत्र श्री शुभकरण देवल, निवासी- कासीन्द्रा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला सिरौही उपस्थित मिले। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत द्वारा मैसर्स शिव गंगा डेयरी फार्म, कासीन्द्रा के निरीक्षण के दौरान मैसर्स शिव गंगा डेयरी फार्म में एक एल्युमीनीयम की कैन में आम जन के बिक्री हेतु रखे हुये खाद्य पदार्थ Mix Milk (Loose) लगभग 50 लीटर रखा हुआ पाया, जिसमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु लेने हेतु इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में गवाह श्री कमलेश कुमार आर्य, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही के समक्ष प्रतिवादी विक्रेता अमर सिंह देवल को भरकर दी एवं गवाह व प्रतिवादी विक्रेता की उपस्थिति में Mix Milk (Loose) को हिला मिलाकर उसमें से 2 लीटर Mix Milk (Loose) को एक साफ, सूखे व खाली बर्तन में कीमतन क्रय किया एवं उसकी कीमत राशि रुपये 128/- (अक्षरे रुपये एक सौ अठाईस मात्र) अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने गवाह एवं प्रतिवादी अमर सिंह देवल को चार साफ, सूखी, खाली प्लास्टिक की बोतलें दिखाकर खरीद शुदा Mix Milk (Loose) को चारों बोतलों में बराबर-बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक बोतल में 40-40 बूंदे फार्मेलीन की डालकर इन चारों बोतलों को अलग अलग ढक्कन लगाकर ढक्कन से एयरटाईट बन्द किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही) के कोड एवं क्रमांक S-2625, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ Mix Milk (Loose) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता अमर सिंह देवल पुत्र श्री शुभकरण देवल एवं गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने हस्ताक्षर किये। श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा Mix Milk (Loose) की चारों नमूना बोतलों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा खरीदशुदा चारों नमूना बोतलों/नमूनों पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं क्रम संख्या S-2625 को उपर से लेकर नीचे तक गोंद से चिपकाया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेटकर चारों नमूना भागों पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही की हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लीप कोड एवं क्रम संख्या S-2625 गोंद से चिपकाकर चारों नमूनों भागों को मोटे धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी से सील मोहर किया तथा चारों नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता अमर सिंह देवल व गवाह के हस्ताक्षर कराये व श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् खाद्य पदार्थ Mix Milk (Loose) के चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता अमर सिंह देवल व गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत के हस्ताक्षर किये हुये हैं। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने कार्यालय में पहुँचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियाँ तैयार की व उस पर

.....लगातार

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
सिरौही-307002



तारिख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
F.S.S.Act Case No. 48/2025

नमूनें को सीलड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक-एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपड़ी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो-दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग-अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपड़ी किया। श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 28-4-2025 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा भावना, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 25-4-2025 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म मैसर्स शिव गंगा डेयरी फार्म, कासीन्द्रा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता अमर सिंह देवल से खाद्य पदार्थ Mix Milk (Loose) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Mix Milk (Loose) के नमूना संख्या S-2625 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./508/Act/2025/508 दिनांक 14-5-2025 में खाद्य पदार्थ Mix Milk (Loose) का नमूना अमानक (sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी अमर सिंह देवल पुत्र श्री शुभकरण देवल, मैनेजर एवं विक्रेता, मैसर्स शिव गंगा डेयरी फार्म, कासीन्द्रा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही ने अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ Mix Milk (Loose) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ Mix Milk (Loose) (नमूना संख्या S-2625) के विक्रय हेतु प्रतिवादी विक्रेता अमर सिंह देवल पुत्र श्री शुभकरण देवल, निवासी- कासीन्द्रा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, मैसर्स शिव गंगा डेयरी फार्म, कासीन्द्रा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 15,000/- (अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी अमर सिंह देवल पुत्र श्री शुभकरण देवल, निवासी- कासीन्द्रा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, मैसर्स शिव गंगा डेयरी फार्म, कासीन्द्रा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 28-10-2025 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)



पति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.